



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 457 राँची, बुधवार, 18 श्रावण, 1945 (श०)
9 अगस्त, 2023 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

04 अगस्त, 2023/ 13 श्रावण, 1945 (शक)

संख्या- 434/पूर्व अनु.1/झार-लो.स./2023(1)--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबंधों के अनुसरण में, अपनी अधिसूचना संख्या 434/पूर्व अनु. 1/झार-लो.स./2019(1) दिनांक 21 फरवरी, 2019 का अधिक्रमण करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, झारखण्ड सरकार के परामर्श से, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकार के अधिकारियों को, उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में यथाविनिर्दिष्ट झारखण्ड राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है :-

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
1-राजमहल (अ०ज०जा०)	जिला निर्वाचन अधिकारी -सह- उपायुक्त, साहेबगंज
2-दुमका (अ०ज०जा०)	जिला निर्वाचन अधिकारी -सह- उपायुक्त, दुमका
3-गोड्डा	जिला निर्वाचन अधिकारी -सह- उपायुक्त, गोड्डा
4-चतरा	जिला निर्वाचन अधिकारी -सह- उपायुक्त, चतरा
5-कोडरमा	जिला निर्वाचन अधिकारी -सह- उपायुक्त, गिरिडीह
6-गिरिडीह	जिला निर्वाचन अधिकारी -सह- उपायुक्त, बोकारो
7-धनबाद	जिला निर्वाचन अधिकारी -सह- उपायुक्त, धनबाद
8-रांची	जिला निर्वाचन अधिकारी -सह- उपायुक्त, रांची
9-जमशेदपुर	जिला निर्वाचन अधिकारी -सह- उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम
10-सिंहभूम (अ०ज०जा०)	जिला निर्वाचन अधिकारी -सह- उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम
11-खूंटी (अ०ज०जा०)	जिला निर्वाचन अधिकारी -सह- उपायुक्त, खूंटी
12-लोहरदगा (अ०ज०जा०)	जिला निर्वाचन अधिकारी -सह- उपायुक्त, गुमला
13-पलामू (अ०जा०)	जिला निर्वाचन अधिकारी -सह- उपायुक्त, पलामू
14-हजारीबाग	जिला निर्वाचन अधिकारी -सह- उपायुक्त, हजारीबाग

आदेश से,

(अरविन्द आनन्द),

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग ।

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० रवि कुमार),
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

04th August, 2023/ 13 SRAVANA, 1945 (Saka)

No. 434/ES-1/JKD-HP/2023(1)--In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of its notification No. 434/ES-1/JKD-HP/2019(1), dated 21st February, 2019, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Jharkhand, the officer of the State Government as specified in column (2) of the Table below as the Returning Officer for the Parliamentary Constituency in the State of Jharkhand as specified in the column (1) of the said Table against such officer of the State Government:-

TABLE

Number and Name of Parliamentary Constituency	Returning Officer
(1)	(2)
01-Rajmahal (ST)	District Election Officer-cum-Deputy Commissioner, Sahebganj
02-Dumka (ST)	District Election Officer-cum-Deputy Commissioner, Dumka
03-Godda	District Election Officer-cum-Deputy Commissioner, Godda

04-Chatra	District Election Officer-cum-Deputy Commissioner, Chatra
05-Kodarma	District Election Officer-cum-Deputy Commissioner, Giridih
06-Giridih	District Election Officer-cum-Deputy Commissioner, Bokaro
07-Dhanbad	District Election Officer-cum-Deputy Commissioner, Dhanbad
08-Ranchi	District Election Officer-cum-Deputy Commissioner, Ranchi
09-Jamshedpur	District Election Officer-cum-Deputy Commissioner, East Singhbhum
10-Singhbhum (ST)	District Election Officer-cum-Deputy Commissioner, West Singhbhum
11-Khunti (ST)	District Election Officer-cum-Deputy Commissioner, Khunti
12-Lohardaga (ST)	District Election Officer-cum-Deputy Commissioner, Gumla
13-Palamu (SC)	District Election Officer-cum-Deputy Commissioner, Palamu
14-Hazaribagh	District Election Officer-cum-Deputy Commissioner, Hazaribagh

By Order,

(ARVINDANAND),
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA
